राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019

1. भूमिका

1.1 राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 में सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर 2017 को लघु एवं सीमान्त कृषकों के 50,000 रूपये तक तथा अन्य कृषकों के लघु कृषक की भू–जोत सीमा के अनुपात में 50,000 रूपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये गये। इस प्रकार कई कृषकों को ऋण माफी का **आंशिक** लाभ ही मिल पाया।

1.2 राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.17(15)सह/2018 दिनांक 19.12.2018 के जरिये राज्य के सहकारी बैंकों के ऋणी कृषकों का निर्धारित पात्रता अनुसार दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.3 फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 के क्रम में 29 दिसम्बर 2018 को आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में पात्रता की शर्तें एवं दिशा निर्देश निर्धारण हेतु, मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अंर्तविभागीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी पालना में आदेश दिनांक 1.1.2019 के द्वारा मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अंर्तविभागीय समिति का गठन किया गया।

1.4 इस समिति द्वारा की गई अनुशंषा के क्रम में नवीन योजना "**राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019**" एतद्द्वारा जारी की जाती है।

2. योजना का दायरा

2.1 योजना में राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में "**सहकारी बैंक**" कहा जाएगा) के अल्पकालीन फसली ऋण शामिल होंगे।

2.2 केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बद्ध पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति)/लैम्पस (वृहत् कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी समिति) के अल्पकालीन फसली ऋण योजना में शामिल होंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

2.3 ऐसे अल्पकालीन फसली ऋण जो **प्राकृतिक आपदाओं के कारण** राज्य सरकार की अधिसूचना के जरिये मध्यकालीन परिवर्तित (MTC), मध्यकालीन पुनः परिवर्तित (MTCR) एवं मध्यकालीन पुनः परिवर्तित रिशिड्यूल्ड (MTCRR) किये गये हैं, भी इस योजना में शामिल होगें।

2.4 योजना में आगे उल्लेखित बकाया/वितरित ऋणों का अभिप्राय अल्पकालीन फसली ऋणों के साथ–साथ MTC, MTCR एवं MTCRR ऋणों से होगा।

2.5 यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2.6 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के लघु एवं सीमान्त कृषकों के अवधिपार मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की पात्रतानुसार ऋण माफी योजना पृथक से जारी की जा रही है।

3. परिभाषाएँ

3.1 **'अल्पकालीन फसली ऋण'** से तात्पर्य कृषि कार्यों के लिए सीधे किसानों को दिए गए अल्पकालीन फसली ऋण तथा सीधे किसानों के समूहों (उदाहरण के लिए स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह) को दिए गए अल्पकालीन फसली ऋण शामिल किए जाऐंगे, बशर्ते बैंक द्वारा उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण के अलग–अलग आँकड़े रखे गये हो।

3.2 'MTC (Medium Term Conversion) MTCR (Medium Term Conversion Rephasement) एवं MTCRR (Medium Term Conversion Rephasement and Rescheduledment)' से तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन फसली ऋणों से है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना के जरिये मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये गये हैं।

3.3 **'सहकारी बैंक'** से तात्पर्य केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है।

3.4 **'सीमांत कृषक'** से तात्पर्य एक हैक्टेयर तक भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान है।

संयुक्त शासन सचिव
जयपुर

3.5 **'लघु कृषक'** से तात्पर्य एक हैक्टेयर से अधिक तथा दो हैक्टेयर तक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान है।

3.6 **'अन्य कृषक'** से तात्पर्य है दो हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान है।

3.7 **'परिवेदना निवारण प्राधिकारी'** पोर्टल पर पैक्स/लैम्प्स के व्यवस्थापक अथवा ऋण पर्यवेक्षक द्वारा अपलोड की गई सूचनाओं से कृषक सहमत नहीं होने पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण परिवेदना निवारण प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक बैंक शाखा के लिए परिवेदना निवारण प्राधिकारी की नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान के द्वारा की जावेगी।

3.8 **पोर्टल**– पोर्टल से तात्पर्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषकों की ऋण माफी हेतु आधार आधारित आवेदन एवं अभिप्रमाणन हेतु DoIT&C द्वारा निर्मित पोर्टल से होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>

I- लघु, सीमान्त व अन्य कृषक की श्रेणी का आधार **सहकारी बैंक/पैक्स/लैम्प्स** की पुस्तकों में दर्ज कृषि भूमि होगी।

इस संबंध में कोई भी परिवेदना/शिकायत योजना में वर्णित, जिला स्तरीय परिवेदना निवारण समिति, जिसका अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से कनिष्ठ श्रेणी का अधिकारी न हो, के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसके संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

II- एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भू–जोत को मिलाकर ऋण लेने के मामले में किसानों के वर्गीकरण (लघु या सीमांत या अन्य कृषक के रूप में) का आधार उस समूह की सबसे बड़ी भूजोत के आकार को बनाया जाएगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

4. पात्रता

4.1 सहकारी बैकों के माध्यम से वितरित फसली ऋण जो कृषकों की ओर दिनांक 30.11.2018 को बकाया है, माफी हेतु पात्र होंगे।

4.2 सहकारी बैकों के माध्यम से वितरित फसली ऋण जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के जरिये MTC, MTCR एवं MTCRR में परिवर्तित किये गये हैं, की राशि भी इस योजनान्तर्गत ऋण माफी हेतु पात्र होगी।

4.3 कतिपय कृषक जिनका ब्यौरा संलग्न **परिशिष्ट–1** (Negative List) में है, वे योजना की परिधि से बाहर रहेंगे अर्थात इन्हें ऋण माफी का लाभ देय नहीं होगा।

4.4 खड़ी फसल से इतर कृषि उत्पाद को बंधक या दृष्टिबंधक रखकर लिये गये ऋण माफी हेतु पात्र नहीं होंगे।

4.5 सहकारी ऋण संस्थाओं और समान प्रकार की अन्य संस्था से भिन्न किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, कारपोरेट को प्रदत्त कृषि ऋण, पात्र नहीं होंगे।

5. ऋण माफी राशि

5.1 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को बकाया समस्त फसली ऋण अर्थात मूल ऋण + ब्याज + शास्ति को सम्मिलित करने पर फलित राशि।

5.2 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को बकाया ऋण राशि के विरूद्ध कृषक द्वारा उक्त तिथि के उपरान्त पूर्ण या आंशिक राशि जमा करवायी गई हो तो भी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. भुगतान प्रक्रिया

6.1 अनावधिपार प्रकरण

6.1.1 जो कृषक देय तिथि पर सम्पूर्ण बकाया ऋण का चुकारा कर देते हैं, उनको पात्र ऋण माफी राशि का भुगतान राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर सहकारी बैंकों द्वारा कृषक के बचत खाते में हस्तान्तरित कर किया जावेगा। ऐसे कृषकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि (मूल

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

ऋण राशि के बराबर) के अनुसार प्राथमिकता से ऋण वितरण किया जावेगा।

6.1.2 जो कृषक देय तिथि को बकाया ऋण का चुकारा नहीं करते हैं, उनके **ऋण खाते** में देय तिथि को पात्र ऋण माफी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक के माध्यम से हस्तान्तरित किया जावेगा। ऐसे कृषकों द्वारा उनका ऋण खाता चुकता करने के उपरान्त, उन्हे पुनः ऋण बैंक के पास उपलब्ध संसाधनों एवं कृषक की स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत दिया जा सकेगा।

6.2 अवधिपार प्रकरण

6.2.1 जो कृषक **दिनांक 31.3.2019** तक सम्पूर्ण बकाया ऋण (मय ब्याज) का चुकारा कर देते हैं, उनको पात्र ऋण माफी राशि का भुगतान राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर सहकारी बैंकों द्वारा कृषक के बचत खाते में हस्तान्तरित कर किया जावेगा। ऐसे कृषकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि (मूलधन राशि के बराबर) अथवा उनकी स्वीकृत साख सीमा के अनुसार बैंक के पास उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत ऋण वितरण किया जावेगा।

6.2.2 जो कृषक दिनांक 31.3.2019 तक बकाया ऋण का चुकारा नहीं करते हैं, उनके ऋण खाते में देय तिथि को पात्र ऋण माफी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक के माध्यम से हस्तान्तरित किया जावेगा। ऐसे कृषकों द्वारा उनका ऋण खाता चुकता करने के उपरान्त, उन्हे पुनः ऋण बैंक के पास उपलब्ध संसाधनों एवं कृषक की स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत दिया जा सकेगा।

स्पटीकरण :

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

<u>कृषक हित में खरीफ 2018 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की देय तिथि 31.03.2019 से बढ़ाकर 30.06.2019 अथवा ऋण वितरण से 12 माह, जो भी पहले हो की जावेगी।</u>

7. योजना क्रियान्वयन

7.1 सहकारी बैंक एवं पैक्स/लैम्प्स के ऐसे ऋणी कृषक, जिन पर दिनांक 30.11.2018 को फसली ऋण बकाया है, की सूचनायें **DoIT&C** के पोर्टल पर संबंधित ऋण पर्यवेक्षक/पैक्स के व्यवस्थापक द्वारा अपलोड की जावेंगी। **अनावधिपार ऋण प्रकरणों में पोर्टल पर कृषक के विरूद्ध दिनांक 30.11.2018 को बकाया मूल ऋण की सूचना ही अंकित की जावेगी तथा अवधिपार प्रकरणों में कृषक के मूल ऋण, दिनांक 30.11.2018 तक के ब्याज व शास्ति की सूचनायें भी अपलोड की जायेंगी।** योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषक के पास **आधार नम्बर** होना अनिवार्य होगा।

7.2 पोर्टल पर कृषक का डाटा अपलोड होने पर SMS के जरिये कृषक के मोबाईल पर संदेश प्रेषित किया जावेगा।

7.3 मोबाईल पर संदेश प्राप्त होने पर कृषक संबंधित सहकारी बैंक शाखा अथवा पैक्स/लैम्प्स में निर्धारित दिवस को सम्पर्क कर पोर्टल से जनित ऋण खाते का बकाया एवं गत ऋण माफी, आदि से संबंधित सूचनाओं की प्रति निर्धारित **प्रपत्र–।** में (परिशिष्ट–2) प्राप्त कर सकेगा।

7.4 यदि कृषक प्रपत्र–। में अंकित सूचनाओं से संतुष्ट है, तो कृषक एवं पैक्स/लैम्प्स के व्यवस्थापक अथवा शाखा ऋण पर्यवेक्षक, (जो भी लागू हो), प्रपत्र–। पर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रपत्र–। की प्रति कृषक को उपलब्ध करायी जाकर पावती प्राप्त की जावेगी।

7.5 प्रपत्र–। पर हस्ताक्षर के पश्चात्, कृषक संबंधित सहकारी बैंक अथवा पैक्स/लैम्प्स अथवा निकटतम ई–मित्र केन्द्र पर जाकर प्रस्तुत कर आधार आधारित अभिप्रमाणन के जरिये पोर्टल पर अपनी सूचना का सत्यापन करायेगा। कृषक सूचना के सत्यापन के समय **परिशिष्ट–4** में दर्शित शपथ–पत्र online स्वीकार करेगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

7.6 यदि कृषक प्रपत्र–। में अंकित सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हो, तो वह पोर्टल पर दिये हुये असहमति कारणों में से सही कारण चुनकर एवं आधार अभिप्रमाणन कर अपनी असंतुष्टि दर्ज करवायेगा। ऐसे आवेदन संबंधित परिवेदना निवारण

प्राधिकारी को प्रेषित किये जायेगें। कृषक निर्धारित तिथि को परिवेदना निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपनी परिवेदना का निवारण करवायेगा।

7.7 परिवेदना निवारण प्राधिकारी द्वारा समिति/बैंक रेकार्ड तथा कृषक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर परिवेदना का निस्तारण कर पोर्टल पर अंकित ऋण संबंधी सूचना का शुद्धिकरण किया जायेगा। परिवेदना के निस्तारण पश्चात्, परिवेदना निवारण प्राधिकारी कृषक को प्रपत्र–II (परिशिष्ट–3) (सूचना शुद्धिकरण) की प्रति उपलब्ध करायेगा।

7.8 व्यवस्थापक/ऋण पर्यवेक्षक द्वारा परिवेदना निस्तारण हेतु परिवेदन निवारण प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं का सत्यापन/जांच संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

7.9 कृषक के आधार अभिप्रमाणन हेतु ई–मित्र केन्द्र द्वारा यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी।

7.10 ई–मित्र केन्द्र को कृषक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (प्रपत्र–I/ प्रपत्र–II) के आधार पर निर्धारित राशि का भुगतान **राज्य सरकार** द्वारा देय होगा।

7.11 पोर्टल पर आधार अभिप्रमाणन पश्चात् सभी आवेदन संबंधित शाखा प्रबन्धक के पास सत्यापन/वेरीफिकेशन हेतु अग्रेषित होंगे। शाखा प्रबन्धक समिति/शाखा के रिकार्ड के आधार पर पोर्टल में अंकित प्रविष्टियों का सत्यापन/वेरीफिकेशन करेगा।

7.12 जिन प्रकरणों में ऋण माफी की राशि रूपये 1.00 लाख तक है, उनमें सूचना को अंतिम रूप से वेलिडेट कर पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी प्रमाण–पत्र जनरेट करने के लिए शाखा प्रबन्धक अधिकृत होंगे।

7.13 जिन प्रकरणों में ऋण माफी की राशि **रूपये 1.00 लाख से अधिक** है, उनमें अंतिम रूप से वेलिडेशन प्रधान कार्यालय बैंक द्वारा किया जावेगा एवं तत्पश्चात् ऋण माफी प्रमाण–पत्र जनरेट किये जायेंगे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

7.14 ऋण पर्यवेक्षक, शाखा प्रबन्धक एवं प्रधान कार्यालय बैंक द्वारा सत्यापित की गई समस्त सूचियों की समीक्षा निम्न **'बैंक स्तरीय कमेटी'** द्वारा किया जावेगाः–

1.	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक	– समन्वयक
2.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	– सदस्य
4.	विशेष लेखा परीक्षक	– सदस्य
5.	संबंधित शाखा प्रबन्धक/सचिव,सहकारी भूमि विकास बैंक	– सदस्य
6.	संबंधित पैक्स व्यवस्थापक/संबंधित शाखा सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक	– सदस्य सचिव

8. ऋण माफी प्रमाण–पत्र

ऋण माफी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में होगा, जो ऋणमाफी पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर (Digitally Signed by Branch Manager) पैक्स/लैम्प्स के व्यवस्थापक द्वारा कृषक को वितरित किये जावेंगे। ऋण माफी प्रमाण–पत्र शिविरों के माध्यम से कृषकों को वितरित कर पावती प्राप्त की जावेगी।

9. सहकारी बैंक के दायित्व

सहकारी बैंक प्रत्येक कृषक के संबंध में बकाया ऋण आदि विवरण **एवं** ऋण माफी की राशि की सत्यता और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होंगे। सहकारी बैंक इस योजना के उद्देश्य से संबंधित प्रत्येक प्रलेख और तैयार की गई सभी सूचियों पर संबंधित अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित कर सुरक्षित रखेंगे।

10. परिवेदना एवं निस्तारण

10.1 **जिला स्तर पर** परिवेदना निवारण समिति का निम्नानुसार गठन किया जावेगाः–

1.	जिला कलेक्टर या उनका मनोनीत प्रतिनिधि जो अति.जिला कलेक्टर स्तर का होगा	– अध्यक्ष
2.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	– सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक/सचिव, सहकारी बैंक	– सदस्य सचिव

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

10.2 परिवेदना निवारण समिति की सूचना सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा व पंचायत समिति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

10.3 यदि कृषक परिवेदना निवारण प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह अपनी परिवेदना/शिकायत जिला परिवेदना समिति को प्रस्तुत कर सकेगा।

10.4 परिवेदना निवारण समिति उभय पक्ष को सुनकर कृषक की परिवेदना पर समुचित आदेश पारित करेगी।

10.5 परिवेदना प्राप्ति तिथि से 10 दिवस के अन्दर परिवेदना का निपटारा करना होगा।

10.6 परिवेदना निवारण समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

11. लेखापरीक्षा

11.1 प्रत्येक सहकारी बैंक, जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है, उसकी लेखा बहियाँ (शाखाओं के स्तर पर अनुरक्षित लेखा बहियों सहित) निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होंगी।

11.2 वित्तीय लेखा परीक्षा के अलावा प्रदत्त ऋण माफी राशि का **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** एवं सत्यापन भी करवाया जा सकेगा।

11.3 किसी ऋणदाता संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा के निर्देश राज्य सरकार दे सकेगी, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना प्रकरण विशेष में आवश्यक है।

11.4 रेण्डम ऑडिट –

(अ) बैंक की कुल शाखाओं मे से 25 प्रतिशत शाखाओं का चयन कर उनमें आने वाली 25 प्रतिशत समितियों का लेखा ऑडिट हेतु चयन किया जावे। चयन में इस बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जावें कि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जावे।

(ब) जिन समितियों/शाखाओं का चयन किया जावे उनमें न्यूनतम 25 प्रतिशत खातों का परीक्षण सुनिश्चित किया जावे।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(स) लेखा परीक्षक इस बात का भी परीक्षण करेगें कि ऋण माफी राशि योजना प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को ही प्रदत्त की गई हैं एवं माफी राशि की गणना योजना प्रावधानों से सुसंगत है।

12. सत्यापन/जाँच

12.1 पैक्स/लैम्पस व्यवस्थापक द्वारा तैयार की गई सूची एवं पोर्टल पर संधारित सूची का शत प्रतिशत सत्यापन संबंधित शाखा के ऋण पर्यवेक्षक व शाखा प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

12.2 पुनः इन सूचियों की जांच विभागीय निरीक्षक (ऑडिट) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी।

13. क्लेम प्रस्तुतीकरण

ऋणमाफी क्लेम शीर्ष सहकारी बैंक के माध्यम से निहित प्रक्रिया अपनाते हुये बैंक के आंतरिक अंकेक्षक एवं विभागीय निरीक्षक ऑडिट के संयुक्त प्रमाणन सहित निर्दिष्ट प्रारूप में प्रषित किये जावेंगे।

14. प्रचार–प्रसार

14.1 इस योजना में शामिल प्रत्येक सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

14.2 इस योजना की एक प्रति सहकारी विभाग एवं शीर्ष सहकारी बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

14.3 योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

15. राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगाः–

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(i)	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष
(ii)	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त	– सदस्य
(iii)	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	– सदस्य

(iv) प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता – सदस्य
(v) प्रमुख शासन सचिव, आयोजना – सदस्य
(vi) प्रमुख शासन सचिव, DoIT&C – सदस्य
(vii) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ – सदस्य सचिव
(viii) प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य सहकारी बैंक लि. – सदस्य
(ix) प्रबन्ध निदेशक, राज.राज्य सह.भूमि विकास बैंक लि. – सदस्य

16. राज्य स्तरीय उच्च समिति

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समीक्षा एवं मोनेटरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय उच्च समिति** का गठन किया जावेगा।

17. व्याख्या और कठिनाइयों का निराकरण

17.1 इस योजना में किसी प्रावधान या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य स्तरीय अनुप्रर्वतन समिति द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा और इस संबंध में इसका निर्णय अंतिम होगा।

17.2 यदि इस योजना के प्रावधानों या योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से, उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी।

17.3 योजना क्रियान्वयन के क्रम में दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जावेगें। **रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर परिचालनात्मक आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।**

18. ऋण माफी राशि का बैंकों को भुगतान

18.1 पात्र माफी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान के बचत खाते अथवा ऋण खाते में किया जा सकेगा।

18.2 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली ऋण माफी राशि का भुगतान 30 जून 2019 तक बैंकों को उपलब्ध करवाना होगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

18.3 ऋण माफी हेतु अवधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में पात्र माफी राशि पर दिनांक 30.11.2018 से एवं अनावधिपार ऋण प्रकरणों में देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक का ब्याज राज्य सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की दर से बैंकों को उपलब्ध करवाया जावेगा।

18.4 सहकारी बैंक द्वारा अपात्र व्यक्तियों एवं योजना के दायरे से बाहर के व्यक्तियों की ऋण माफी की जाती है तो वह राशि राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगी और गलती से कर दी गई है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।

19. यह योजना वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के अनुमोदन व सहमति उपरान्त जारी की जाती है।

*****

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

योजना की परिधि/लाभ से बाहर संवर्ग की सूची (Negative List)

1. वर्तमान व पूर्व मंत्रिमण्डल के सदस्य (भारत/राज्य सरकार)।
2. वर्तमान व पूर्व सांसद एवं विधायक।
3. आयकरदाता ऋणी।
4. राज्य व केन्द्र सरकार के वेतनभोगी अधिकारी व कर्मचारी
5. नियमित पेन्शन धारक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी (भारत/राज्य सरकार)
6. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें केबिनेट व राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हैं।
7. राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य
8. सभी बैंकों यथा सार्वजनिक, प्राईवेट, सहकारी बैंक इत्यादि के पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर्स।
9. राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेशंनर्स।
10. पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक एवं पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान और जिला परिषद के वर्तमान जिला प्रमुख।
11. सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पूर्णकालिक कार्मिक।
12. राज्य सरकार के विभागों व उक्त वर्णित सभी संस्थानों/संस्थाओं में कार्यरत संविदाकर्मी।
13. एक से अधिक बैंकों से ऋण प्राप्तकर्ता को, एक वित्तदात्री संस्था से ही ऋण माफी का लाभ देय होगा।

उक्त वर्णित संवर्गों के आश्रितों को भी योजनान्तर्गत देय लाभ के पात्र नहीं होंगे।

परंतुक

1. ईपीएफ व्यवस्थान्र्गत पेंशन भोगी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र समझे जावेगे।
2. वेतन आधारित नियमित पेंशन भोगी संवर्ग योजनान्तर्गत देय लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. प्रधान एवं जिला प्रमुख जिन्हें मानदेय भत्ता अनुज्ञेय है, योजनान्तर्गत लाभ के लिये अपात्र होगें। सरपंच, वार्डपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
4. पूर्णकालीन कार्मिक से तात्पर्य नियमित/चयनित वेतन श्रृंखला में वेतन आहरण करने वाले कार्मिक से है। ऐसे कार्मिक योजनान्तर्गत अपात्र होगें।
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र होंगे।
6. शहीद वीरांगना, सीमा सुरक्षा सेवाकाल के दौरान सुरक्षा कार्मिक के आकस्मिक निधन पर आश्रित विधवा योजनान्तर्गत लाभ की हकदार होंगी।
7. मृतक व पलायन सदस्य कृषक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ऋण माफी का लाभ दिया जावेगा।
8. पुराने ऋण प्रकरण, जिनमें समिति स्तर पर भूमि रिकार्ड/MCL रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, पात्र नहीं होंगे।
9. ऋण माफी के लाभ हेतु पात्रता की पुष्टि के लिए प्रत्येक कृषक से शपथ–पत्र (Online) प्राप्त किया जाना होगा। शपथ पत्र प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से उन्मुक्त होगा एवं मिथ्यापूर्ण कथन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

***

परिशिष्ट – 2

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 सूचना सत्यापन प्रपत्र ।

(All below information will be auto-populated based on Aadhar no.)

दिनांक.....

A. कृषक का व्यक्तिगत विवरण:

1. कृषक का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. लिंग (पुरूष / महिला) : .....
4. जन्म तिथि : .....
5. वर्ग (एससी / एसटी / ओबीसी / सामान्य) : .....
6. पता :.....
7. मोबाईल नम्बर :.....
8. आवेदन क्रमांक : .....

B. कृषक का ऋण एवं बचत खाता विवरण:

9. भूमि की जोत (हेक्टेयर में) .....
10. किसान की श्रेणी .....
11. बैंक / ब्राच / पैक्स .....
12. कृषक का सहकारी समिति में सदस्य संख्या: .....
13. कृषक का सहकारी समिति में ऋण खाता संख्या: .....
14. कृषक का ऋण अग्रिम दिनांक (दिनांक 30.11.2018 तक): .....
15. कृषक का केन्द्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता सं. .....
16. फसली ऋण का विवरण :

30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण			
मूलधन	ब्याज	शास्ति	कुल

30 नवम्बर 2018 को बकाया फसली ऋण			
मूलधन	ब्याज	शास्ति	कुल

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में प्रदत्त माफी राशि .....

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

व्यवस्थापक / ऋण पर्यवेक्षक
.....केन्द्रीय सहकारी बैंक लि,
शाखा.....

कृषक
.....पैक्स / लैम्प्स. .....
शाखा.....

परिशिष्ट – 3

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 सूचना सत्यापन प्रपत्र II

(All below information will be auto-populated based on Aadhar no.)

दिनांक.....

A. कृषक का व्यक्तिगत विवरण:

1. कृषक का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. लिंग (पुरूष / महिला) : .....
4. जन्म तिथि : .....
5. वर्ग (एससी / एसटी / ओबीसी / सामान्य) : .....
6. पता :.....
7. मोबाईल नम्बर :.....
8. आवेदन क्रमांक : .....

B. कृषक का ऋण एवं बचत खाता विवरण:

9. भूमि की जोत (हेक्टेयर में) .....
10. किसान की श्रेणी .....
11. बैंक / ब्राच / पैक्स .....
12. कृषक का सहकारी समिति में सदस्य संख्या: .....
13. कृषक का सहकारी समिति में ऋण खाता संख्या: .....
14. कृषक का ऋण अग्रिम दिनांक (दिनांक 30.11.2018 तक): .....
15. कृषक का केन्द्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता सं. .....
16. फसली ऋण का विवरण :

30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण			
मूलधन	ब्याज	शास्ति	कुल

30 नवम्बर 2018 को बकाया फसली ऋण			
मूलधन	ब्याज	शास्ति	कुल

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में प्रदत्त माफी राशि .....

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

परिवेदना निवारण प्राधिकारी
.....केन्द्रीय सहकारी बैंक लि,
शाखा.....

कृषक
.....पैक्स / लैम्प्स .....

शपथ पत्र

(सादे कागज पर लाभान्वित कृषक से लिया जावे)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.....का सदस्य हूँ और इस समिति में मेरा अल्पकालीन सहकारी ऋण खाता संख्या.....है। यह समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0..... .....की शाखा.....के कार्यक्षेत्र में आती है। मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि निम्नांकित बिन्दु संख्या 1 से 13 में उल्लेखित संवर्ग में सम्मिलित नहीं हूँ–

1. वर्तमान व पूर्व मंत्रीमण्डल का सदस्य (भारत/राज्य सरकार)।
2. वर्तमान व पूर्व सांसद एवं विधायक।
3. आयकरदाता ऋणी।
4. राज्य व केन्द्र सरकार का वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी।
5. नियमित पेंशनधारक, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (भारत/राज्य सरकार)।
6. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें केबिनेट/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है।
7. राज्य सरकार के किसी आयोग में अध्यक्ष/सदस्य के पद नियुक्त।
8. किसी भी बैंक यथा सार्वजनिक, प्राइवेट, सहकारी बैंक इत्यादि का पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर।
9. राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्था एवं सार्वजनिक उपक्रम में पदाधिकारी/कार्मिक एवं पेंशनर।
10. पंचायतीराज संस्था का कार्मिक।
11. पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख के पद को वर्तमान में धारित।
12. सहकारी क्षेत्र की संस्था का पूर्णकालिक कार्मिक।
13. राज्य सरकार के विभागों व उक्त वर्णित सभी संस्थानों/संस्थाओं में कार्यरत संविदाकर्मी।
14. बिन्दु संख्या 1 से 13 पर अंकित संवर्ग का आश्रित।

मैं यह भी सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 13 में से कोई तथ्य छिपाकर या मिथ्या तौर पर इंगित कर योजनान्तर्गत ऋण माफी का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है तो मैं इस गलतपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई ऋण माफी राशि को वापस लौटाने के लिए पाबन्द रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी..... .....सत्यापित करता/करती हूँ कि स शपथ–पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 13 में उल्लेखित संवर्ग में सम्मिलित नहीं हूँ। यह जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को मेरे द्वारा किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शपथग्रहिता